ODP

बीकानेर नगर निगम

नगरनिगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 0151–2226906, फोन :–0151–2226902, 0151–2226905
E-Mail Address:–nagarnigambikaner@gmail.com Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / सामान्य बोर्ड / बैठक / 2017 / 428-45

~~दिसम्बर, 2017~~ 09/01/2018

कार्यवाही विवरण

दिनांक 22 नवम्बर 2017 को नगर निगम की साधारण सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में गांधी म्यूनिसिपल हॉल में आयोजित हुई। इस बैठक में निम्न पार्षद उपस्थित हुए।

क्र.सं.	पार्षद का नाम	वार्ड नम्बर	उपस्थिति / अनुपस्थिति
1.	श्रीमति मघी देवी	1	उपस्थित
2.	श्री लक्ष्मी नारायण	2	उपस्थित
3.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	3	उपस्थित
4.	श्री श्याम सुन्दर चाण्डक	4	उपस्थित
5.	श्री अजय सिंह राजपुरोहित	5	उपस्थित
6.	श्रीमति शान्ति चौधरी	6	अनुपस्थित
7.	श्री नरेश जोशी	7	उपस्थित
8.	श्रीमति डिम्पल व्यास	8	उपस्थित
9.	श्रीमति भंवानी पारीक	9	उपस्थित
10.	श्रीमति वहिदा खातून	10	अनुपस्थित
11.	श्री मौहम्मद अखतर कलिम	11	उपस्थित
12.	श्री प्रेम रतन जोशी	12	उपस्थित
13.	श्री मौहम्मद हारून राठौड़	13	उपस्थित
14.	श्री दिनेश कुमार उपाध्याय	14	उपस्थित
15.	श्री शिव कुमार रंगा	15	उपस्थित
16.	श्री दुलीचन्द शर्मा	16	उपस्थित
17.	श्री राजेन्द्र शर्मा	17	उपस्थित
18.	श्री अशोक आचार्य	18	अनुपस्थित
19.	श्रीमति सरला देवी पड़िहार	19	उपस्थित
20.	श्री शिव कुमार रंगा	20	उपस्थित
21.	श्री शिवचन्द पड़िहार	21	उपस्थित
22.	श्री हजारी मल	22	उपस्थित
23.	श्री नन्द किशोर गहलोत	23	उपस्थित
24.	श्रीमति नानू देवी	25	अनुपस्थित
25.	श्री नन्दलाल जावा	26	अनुपस्थित
26.	श्री मोहम्मद अनवर	27	उपस्थित
27.	श्री गिरीराज जोशी	28	उपस्थित
28.	श्रीमति मजूं गोयल	29	उपस्थित

29.	श्री दाऊलाल सेवग	30	उपस्थित
30.	श्री सुरेश कुमार बारियां	31	उपस्थित
31.	श्री राम चन्द्र सोनी	32	उपस्थित
32.	श्रीमती सुरज देवी	33	अनुपस्थित
33.	श्री मौहम्मद ताहिर	34	उपस्थित
34.	श्री राजेन्द्र पंवार	35	उपस्थित
35.	श्री जामन लाल	36	उपस्थित
36.	श्री आर्दश शर्मा	37	उपस्थित
37.	श्री अखिलेश प्रताप सिंहं	38	उपस्थित
38.	श्री भगवती प्रसाद गौड	39	उपस्थित
39.	श्री विनोद धवल	40	उपस्थित
40.	श्री मनोज कुमार	41	उपस्थित
41.	श्रीमति पूजा भटनागर	42	उपस्थित
42.	श्रीमति कृष्णा देवी	43	उपस्थित
43.	सुश्री दिव्या राजपुरोहित	44	उपस्थित
44.	श्रीमति नीलम जांगिड़	45	उपस्थित
45.	श्री यशपाल सिंह	46	अनुपस्थित
46.	श्री शहाबुदीन	47	उपस्थित
47.	श्री मौहम्मद समीउल्ला	48	उपस्थित
48.	श्री परमानन्द गहलोत	49	उपस्थित
49.	श्रीमति कृष्णा कवंर शेखावत	50	उपस्थित
50.	श्रीमति भावना गहलोत	51	उपस्थित
51.	श्री जगदीश प्रसाद मोदी	52	उपस्थित
52.	श्रीमती खुर्शीदा बानों	53	उपस्थित
53.	श्री युनस अली	54	उपस्थित
54.	श्रीमति विमला देवी	55	उपस्थित
55.	श्री जावेद पड़िहार	56	उपस्थित
56.	श्रीमति भंवर कंवर	57	अनुपस्थित
57.	श्री सोहन लाल	58	उपस्थित
58.	सुश्री पूजा	59	उपस्थित
59.	श्री राजेन्द्र शर्मा	60	उपस्थित
60.	श्री उम्मेद सिंह राजपुरोहित	मनोनीत	अनुपस्थित
61.	श्रीमति लक्ष्मी कवंर	मनोनीत	उपस्थित
62.	श्री भंवर लाल उपाध्याय	मनोनीत	उपस्थित
63.	श्री भवानी शंकर आचार्य	मनोनीत	अनुपस्थित
64.	श्री मनोज कुमार पारख	मनोनीत	उपस्थित
65.	श्री रमेश कुमार भाटी	मनोनीत	उपस्थित

सर्वप्रथम महापौर महोदय ने राष्ट्रीय गीत “वन्देमातरम्”गायन उपरान्त बैठक की घोषणा की। सभी उपस्थित सदस्यों व अधिकारियों/कर्मचारियों ने राष्ट्रीयगीत गाया।

बीकानेर के श्री भगवती प्रसाद शर्मा, पूर्व चीफ जस्टिस झारखड एवं वर्तमान में गुजरात मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा ज्ञात–अज्ञात दिवंगतों को सदन नमन करते हुए असरूपुरीत श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा।

आज की साधारण सभा में उपस्थित समस्त माननीय पार्षदगणों का हार्दिक अभिनन्दन। सदन की समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस पर चर्चा करते हुए निर्णय सदन द्वारा लिया जाना है। माननीय पार्षदगणों से विनम्र अनुरोध है कि व्यापक जनहित में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सकारात्मक चर्चा में सम्मिलित होवें।

प्रस्ताव संख्या 01 नगरीय एवं विकास आवासन मण्डल, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 18(13)नविवि/जयपुर/2016/दिनांक 18.10.2017 के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित (विनियम 5.3)1 के अनुसार) की पालना में परम्परागत रूप से विकसित क्षेत्र (गैर योजना क्षेत्र, कच्ची बस्ती क्षेत्र, सघन आबादी क्षेत्र) के निर्धारण की सूची का अनुमोदन हेतु।

एकीकृत भवन विनिमय 2017 के बिन्दु 5.3(1) के अन्तर्गत एस–3 क्षेत्र (गैर योजनातर्गत सघन आबादी क्षेत्री में भवन निर्माण हेतु मानदण्ड तय किया गया है जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र मे पराम्परागत रूप से सघन आबादी विकसित हुई हो, की सूची उनकी सीमाओं का निर्धारण करते हुए, तैयार की जावेगी तथा उक्त सूची को संबंधित निकाय की मण्डल/बोर्ड बैठक में अनुमोदित करवाया जाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। इसकी प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जावेगी। उक्त कार्यवाही इन भवन विनियमों के प्रभाव में आने के पश्चात् एक माह में संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा की जावेगी। इस प्रकार निर्धारित गैर योजनागत सघन

आबादी क्षेत्रों में सक्षम अधिकारी द्वारा भवन विनियम 5.3(2) के अनुसार मापदण्ड निर्धारित करते हुए भवन निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी।

नगर निगम सीमा (Municipal Limit) में स्थित वह क्षेत्र जिसमें बीकानेर स्टेट द्वारा जारी अथवा अन्य समक्ष अधिकारी द्वारा जारी फ्री होल्ड के पट्टा भू–खण्ड, जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से कम है, के भू–खण्ड है एवं चार दिवारी के अन्दर के क्षेत्र को गैर योजनागत 90 प्रतिशत से अधिक परम्परागत रूप से विकसित सघन आबादी क्षेत्र माना जायेगा। परंतु इसमें 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक के ऐसे भू–खण्ड शामिल नहीं होगें। इसके अतिरिक्त नगर पालिका अधिनियम 2009 अथवा नगरपालिका (भूमि निष्पादन नियम 1974) के अन्तर्गत स्वीकृत योजना अथवा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा स्वीकृत योजना अथवा उप विभाजन नियम 1975 के अधीन स्वीकृत निजी योजना अथवा टाउनशिप पॉलिसी के तहत स्वीकृत निजी योजना अथवा पूर्व में पंचायत द्वारा स्वीकृत योजना अथवा नगर विकास न्यास अथवा आवासन मण्डल अथवा रीको की योजना जो नगर निगम को हस्तान्तरित हो गई है, के क्षेत्रों को गैर परम्परागत सघन आबादी क्षेत्र नहीं माना जायेगा।

प्रस्ताव के प्रारम्भ में आदर्श शर्मा ने कहा कि साधारण सभा को शुरू करने से पहले कोरम पूर्ण किया जाये।

महापौर महोदय ने पार्षदो से कहा कि एक बार में जितना कहना है वो कह सकता है व प्रस्ताव से अलग मुद्दो पर बात ना करे और प्रस्ताव से अलग मुद्दो की बातों को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि मीटिंग में जो प्रस्ताव रखा गया है वो अब हमें दे रहे है पहले देते तो हम इस पर विचार कर सकते थे। हम इसको पढ़े या बोले। पिछली मीटिंग के तीन बिन्दुओं को शामिल किया जावे।

नेताप्रतिपक्ष ने कहा कि यह आदेश 18.10.2017 का जारी है तो हमें आज मीटिंग में दिया है और आपातकालीन मीटिंग क्यों रखी। एजेण्डे के साथ इस आदेश को भेजते । हम इस पर क्या चर्चा करे। इसमें दोषी कौन है आप द्वारा आज क्यों दिया जा रहा है।

महापौर महोदय ने कहा कि यह साफ्टकॉपी कोई भी डाउनलोड कर सकता है।

नेताप्रतिपक्ष ने कहा कि मीटिंग की सुचना हमारे पास कल आई है। क्या आप इस आदेश की कॉपी हमें ऐजेण्डे के साथ नहीं भेज सकते थे। आपको प्रकाशन करना है। उसको प्रकाशन कर ले, जो भी सुझाव आयेगें तो उसको प्राप्त कर लेगें।

श्री भगवती प्रसाद गौड़ ने कहा कि पर्व मीटिंग की संशोधित कार्यवाही विवरण जारी की गई या नहीं।

महोपौर महोदय ने कहा कि जारी कर दी गई है।

श्री भगवती प्रसाद गौड़ ने कहा कि एक प्रति उपलब्ध करवा दे।

श्री आदर्श शर्मा ने कहा कि कोई विधायक या कोई अन्य व्यक्ति आ रहा है जो इस मीटिंग को विराम दे रखा है।

श्री राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि पिछली साधारण सभा में जो तीन प्रस्ताव रह गये थे, उनको भी शामिल किया जाये। ताकि आधे घण्टे तक इस प्रस्ताव को पढ़कर चर्चा कर सके।

महापौर महोदय ने कहा कि जो प्रस्ताव पार्षद लाते है उन पर अन्य पार्षदों की सहमति होने पर प्रस्ताव रख सकते है। आपके कोई भी प्रस्ताव है अगर सदन में उन पर सहमति बनती है तो चर्चा की जा सकती है।

श्री भगवती प्रसाद गौड़ ने कहा कि साधारण सभा में दो गुट है एक हाँ में व दुसरा ना में सहमति देते है। क्यों रूपये खराब कर रहे हो।

श्रीमति भावना गहलोत ने कहा कि आप सहमति दो कि यह मीटिंग के प्रस्ताव के बाद जो पुर्व के प्रस्ताव है उस चर्चा करेंगे या नहीं।

महापौर महोदय ने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

श्री शिवकुमार रंगा ने कहा कि गौशाला का मुद्दा भी महत्वपुर्ण है, लेकिन पहले बैठक के प्रस्ताव पर चर्चा करनी चाहिए।

इस पर महापौर महोदय ने कहा कि पहले प्रस्ताव सं. 1 पर चर्चा के पश्चात् गौशाला पर भी चर्चा की जावेगी।

श्री अजय सिहं राजपुरोहित ने कहा कि मेरे वार्ड में भाटो का बास, नत्थुसर बास आदि क्षेत्र कच्ची बस्ती क्षेत्र है जो नगर निगम में आयेगें या UIT में, बताया जाऐ।

श्री राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि आवासन मण्डल पवनपुरी के चार सैक्टर हस्तान्तरित है या नहीं। आवासन मण्डल में कार्य करवाने के लिये निगम अधिकृत है तो मुक्ता प्रसाद नगर में भी कार्य करवाने की मांग की।

महापौर महोदय ने कहा कि ऐसे जो एरिया आवासन मण्डल का एरिया अगर निगम को हस्तान्तरण हुआ है तो उसकी प्रमिशन निगम द्वारा दी जायेगी।

श्री राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि अगर 1 से 4 सेक्टर हैडं ओवर है तो उस नोटिस दिया जाये। जब नोटिस की बारी आती है तो आवासन मण्डल पर बात ढोल देते है।

इसके पश्चात् श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्ताव सख्यां – 1 पर डिसेन्ट नोट लगाये जाने की बात कह कर एक लिखित पत्र महापौर महोदय को दिया।

श्री दुलीचन्द शर्मा ने कहा की उक्त प्रस्ताव शहर के हित का है प्रस्ताव पारित किया जावे।

श्री आदर्श शर्मा ने कहा कि आप मुझे असहमति नोट की प्रति उपलब्ध करवाये ताकि हम इस अधिनियम पर हम विस्तृत चर्चा कर सके।

श्री राजेन्द्र पवांर ने कहा कि इस प्रस्ताव से जनता को फायदा होगा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस प्रस्ताव के हम कोई भी खिलाफ नहीं है।

श्री आदर्श शर्मा ने कहा कि हम इस प्रस्ताव के खिलाफ नहीं है, हम तो चर्चा करना चाहते है, क्या हमारे मास्टर प्लान से छेड़छाड़ की जा रही है? हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना नहीं की जा रही है।

महापौर महोदय ने कहा कि हम मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड नहीं कर रहे है।

श्री भंवर लाल उपाध्याय ने कहा कि जब महापौर महोदय ने कहा है कि मास्टर प्लान के साथ कोई छेड़छाड नहीं कर रहे है तो फिर इस जनता के हित के प्रस्ताव को पास कर देना चाहिए।

श्री प्रेमरतन जोशी ने कहा कि यह यह प्रस्ताव जनता के हित में पारित समझा जावे।

श्री दिनेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि आबादी क्षेत्र में कुछ ऐसी गलिया है वो छोटी है उस पर भी कोई कार्यवाही करे।

महोपौर महोदय ने कहा कि यह राज्य सरकार स्तर से एकीकृत भवन विनिमय 2017 पास है, शहर के सघन आबादी वाले गैर योजना क्षेत्र में निर्धारित करना है।

श्री आदर्श शर्मा ने कहा कि नगर निगम व नगर विकास न्यास दोनो के अधिनियम शहर में अलग–2 लागू नहीं होगें।

महोपौर महोदय ने कहा कि हम सदन में सघन आबाद क्षेत्र कौन–से है वो तय करने बैठे है।

श्री मौहम्मद हारून राठौड़ ने कहा क्या उक्त बायलॉज में कोई संशोधन किया जा सकता है या नहीं?

इस पर महापौर महोदय ने सदन को अवगत करवाया की सिर्फ परम्परागत सघन आबादी क्षेत्र ही घोषित करना हैं।

महापौर महोदय द्वारा 15 मीनट तक मिटिंग को स्थगित किया गया।

श्री सोहन लाल प्रजापत ने कहा साधारण सभा में मानदेय भत्ता व लेपटाप देने का प्रस्ताव पारित किया गया था उसका आज तक कुछ नहीं हुआ।

इस दरमियान विपक्ष के पार्षदों ने गत साधारण सभा की कार्यवाही विवरण संशोधन में जो दोषी है उस पर कार्यवाही करने की मांग की।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा सदन में एजेन्डे के अलावा प्रस्ताव को शामिल क्यों नहीं कर सकते।

महापौर महोदय ने कहा कि अन्य प्रस्ताव को सदन में सभी की सहमति होने पर ही रख सकते है।

श्री शिव कुमार रंगा ने कहा यह नियम उपनियम समिति व प्रशासनिक समिति में यह प्रस्ताव रखा जाये।

श्री प्रेमरतन जोशी ने कहा कि मेरी समिति में कोई प्रस्ताव नहीं आया। अगर आता तो हम उसे पास कर देते। आप द्वारा जो समिति बनाई गई है उसको निरस्त कर दो।

महापौर महोदय ने कहा कि यह मींटिग आपातकालीन हुई है अपने पास इतना समय नहीं था कि उपनियम समिति व प्रशासनिक समिति में इसे रखा जा सके। आप सभी प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है।

श्री आदर्श शर्मा ने कहा कि ऑनलाईन प्राप्त करने हेतु हमारे पास लैपटॉप नहीं है।

महापौर महोदय ने कहा कि जब प्रस्ताव पास होता है तो नोट ऑफ डिसेन्ट लगता है।

श्रीमति भावना गहलोत ने कहा मेरा वार्ड न. 51 आजादी से पहले का बसा है। वार्ड में सकड़ी गलियाँ है। उसे "जीरो" सैटबैक किया जावे ताकि लोगो को राहत मिल सके तथा पुराने मकानों की बालकोनी, अण्डरग्राउण्ड आदि की मरम्मत की स्वीकृति दे।

श्री अखिलेश प्रताप सिहं ने कहा जिस सुची का अनुमोदन किया जा रहा है वह सुची किसी के भी पास नहीं है। अगर High court के आदेश की अवेहलना की गई तो पार्षद भी अवेहलना के दोषी हो सकते है। श्रीमान राजेन्द्र सिंह शेखावत (संयुक्त शासन सचिव –प्रथम) ने जानबुझकर ये नगरपालिकाओं पर छोड़ दिया। जिससे फंसे तो नगरपालिका फंसे। कोई भी सक्षम अधिकारी फाईल पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। आपके पास फाईलों का अम्बार लग जायेगा। यह नियम व फाईल शेखावत साहब को वापस लोटा दे। कोई भी पार्षद इसे लागु करने में सहमत नहीं है।

श्रीमति नीलम ने कहा कि आयुक्त महोदय ने फरमान जारी किया है कि चार विभागों की पत्रावलियाँ सिधी आयुक्त महोदय के पास जायेगी। यदि दोनो उपायुक्त महोदय की आवश्यकता नहीं है तो इन्हें APO कर Relieve कर दिया जावे ताकि इनका वेतन बच सके।

श्री मौहम्मद ताहिर ने कहा कि उपायुक्त महोदय की आवश्यकता नहीं है तो इन्हें APO कर दिया जावे।

श्री राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि दो नोटिस समुन्द्र सिहं द्वारा दिये जाने है तो उपायुक्त महोदय की क्या आवश्यकता है। आयुक्त महोदय बार–बार आदेश जारी करते हैं, उन्हें महापौर महोदय से स्वीकृति बाद आदेश जारी करने चाहिए।

श्रीमति कृष्णा देवी ने कहा कि उपायुक्त महोदय चार–चार माह तक पत्रावलियाँ लेकर बैठे रहते है।

महापौर महोदय ने कहा कि जो पुर्व में 430 मीटर तक के भवन के लिए "जीरो" सेटबैक था उसके स्थान नये बिल्डिंग बाईलाज 2015 के अनुसार अब 500 मीटर तक "जीरो" सेटबैक किये जाने पर विचार किया जाना है। हम जो पहले थे उस पर भी विचार कर सकते है। अन्यथा भवन निर्माण स्वीकृति रूक जायेगी। परम्परागत क्षेत्र की छुट नहीं दिये जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति का कार्य पुर्णतः रूक जायेगा।

श्री राजेन्द्र पंवार ने कहा कि महापौर महोदय जैसे व्यास कॉलोनी तथा अन्य कॉलोनी में मकान नम्बर System है वह शहर में भी लागु किया जावे।

नेताप्रतिपक्ष ने कहा जब पुर्व सभापति महोदय ने कह दिया है कि हम इस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकते है, यही सदन का निर्णय है, सदन ने इस पर आप्पति लगा दी है।

श्री राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि इस प्रस्ताव में कौन कौन से एरिया है, क्या रामपुरा, सुभाषपुरा, रथखाना, धोबीधोरा, धोबीतलाई, गिन्नाणी इसमें शामिल है। जनता हमें पुछेगी कि कौन से एरिया, मौहल्ला प्रस्ताव में शामिल किया है।

श्री मोहम्मद ताहिर ने सुची की मांग की।

महापौर महोदय ने कहा कि समुन्द्र सिहं DTP के पास वो ही नक्शा है। वो आपको दिखा रहे है।

श्री अखिलेश प्रताप सिहं ने 5.3(1) पढ़कर सुनाया तथा कहा कि आप जबरदस्ती प्रस्ताव पास करवाना चाहते हो। यह मांग की यह प्रस्ताव हेतु सरकार से 3 माह का समय लिया जावे।

श्री प्रेमरतन जोशी ने कहा कि इस प्रस्ताव को समिति में रखा जावे अन्यथा मैं धरने पर बैठ जाउँगा।

श्री भगवती प्रसाद गौड़ ने कहा कि इस प्रस्ताव को अखिलेश जी के बताये निर्देशानुसार अगली मीटिंग में रखे तब तक गौशाला पर विचार विमर्श करे।

महापौर महोदय ने प्रस्ताव संख्या 1 के सम्बन्ध में सदस्यों की राय के अनुसार नियम–उपनियम समिति में प्रस्ताव पारित कर एक माह पश्चात् पुनः सभा में रखने की बात कही।

श्री आदर्श शर्मा ने कहा नगर निगम कौन चला रहा है। जो उपायुक्त महोदय के आदेश थे वो आप से पुछे बिना जारी कर दिये गये। 750 फाईलों को निरस्त कर दिया गया। एक फाईल पर 5000/– का खर्च आता है, इसका हर्जाना कौन देगा।

श्री मोहम्मद ताहिर ने कहा कि उपायुक्त महोदय से सम्बन्धित आदेश आपके पास है आप इस आदेश को तुरन्त निरस्त करें या इन्हें APO करें।

श्रीमति भावना गहलोत ने कहा कि आदेश आपके पास है आदेश निरस्त करें या इन्हें APO करें।

<u>निर्णय :–</u> प्रस्ताव संख्या 1 के सम्बन्ध में सदस्यों की राय के अनुसार नियम–उपनियम समिति में प्रस्ताव पारित कर एक माह पश्चात् पुनः सभा में रखा जाये।

महापौर महोदय ने अनाथ पशुओं के सन्दर्भ में चर्चा करने हेतु कहा।

श्री भगवती प्रसाद गौड़ ने कहा कि भुख हड़ताल के बाद तीन प्रस्ताव पास किये गये।

1. कांजी हाऊस का टेण्डर ।
2. गौशाला हेतु राज्य सरकार से जमीन का आवटंन ।
3. श्वानों की नसबन्दी का कार्य।

मैं जानना चाहता हुँ कि पाँच महिने हो गये इन मुद्दो पर क्या कार्यवाही की गई।

नागरपालिका!

Ch

महापौर महोदय ने कहा इन तीन मुद्दो के लिए हाई पावर समिति का गठन किया जाना जरूरी है। यह समिति ऊर्जावान उपायुक्त राष्ट्रदीप जी यादव की अध्यक्षता में बनायी जाए तथा इस समिति में 5 पार्षद श्याम सुन्दर जी, दाऊ जी, भगवती प्रसाद जी, राजेन्द्र जी शर्मा, आदि सदस्य हो।

श्री भगवती प्रसाद गौड़ ने कहा कि 5½ माह में क्या कार्यवाही हुई वो बताए।

महापौर महोदय ने कहा कि 5½ माह में जो कार्यवाही हुई उसको आप फाईल में देख सकते है। यह समिति आपके नेतृत्व में बने।

श्री राजेन्द्र शर्मा व श्री भगवती प्रसाद गौड ने कहा कि आप ही इस समिति के चैयरमैन बने।

श्री भगवती प्रसाद गौड ने कहा कि एक ऐसा टेण्डर निकल रहा है जिसमें 10 किलोमीटर दुर आवारा पशुओं को छोड़ा जाएगा।

श्री नन्द किशोर गहलोत ने कहा मैं 20 बिघा जमीन गौशाला को देने को तैयार हुँ, गौशाला की चार दिवारी बनाई जावे।

महापौर महोदय ने कहा नन्दु जी आप लिखित में पत्र देवे। राष्ट्रदीप जी यादव ने अभी बताया कि गौशाला के सम्बन्ध में श्री ताजमौहम्मद राठौड़ द्वारा फैसला किया जा चुका है इसलिए एक अधिकारी के फैसले पर दुसरा अधिकारी फैसला नहीं ले सकता।

श्री भगवती प्रसाद गौड़ ने कहा 347 बीघा जमीन है उस पर बहुत सारे पशु घुम रहे है उस पर गौशाला बनाई जाये।

श्री हजारी देवड़ा ने कहा गौशाला की काफी समय से बात चल रही है STP प्लांट का निर्माण UIT ने बनाया बिल निगम भर रहा है।

श्री भगवती प्रसाद गौड ने कहा कि निगम लिखित में देवें की हम कुछ नहीं कर सकते है हम दानदाताओं से कार्य करवायेगे।

महापौर महोदय ने कहा कि जहाँ पर गौशाला के सम्बन्ध आयुक्त या मेरी जरूरत होगी हम दोनों आपके साथ उपस्थित होगें।

श्री राजेन्द्र शर्मा ने आप ही गौशाला को स्वीकृत करवाकर लावे।

श्री सोहन लाल प्रजापत ने कहा कि यह बड़ा ही गम्भीर मुद्दा है इसे मजाक में ना ले। गौशाला को निर्माण नहीं होने के कारण स्वच्छ भारत का सपना साकार नहीं हो रहा है। एक माह में इस समस्या का निवारण होना चाहिए।

श्री शिव कुमार रंगा ने कहा कि आपने बजट बैठक में कहा था कि मैं झोली लेकर गौशाला के निर्माण के लिए जनता के पास जाउँगा।

नारायण चोपड़ा

महापौर महोदय ने कहा कि मेरे द्वारा यह सब कहा गया कि मैं झोली फैलाकर रूपये मांगुगा पर हमें अभी गौशाला हेतु धरातल की आवश्यकता है। कई भामाशाह व दानदाताओं से बात हुई वो तैयार है लेकिन वो एक–दो साल के लिए गौशाला हेतु दान नहीं करना चाहते है वो चाहते है कि गौशाला निरन्तर चलती रहे।

श्री भगवती प्रसाद गौड़ ने कहा कि हम आपसे पुछ रहे है कि आप कार्य नहीं कर सकते है क्या?

महापौर महोदय ने कहा कि मैं आपके सहयोग के साथ यह गौशाला का कार्य करवाना चाहता हुँ। समिति पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि वह 1 माह में गौशाला से सम्बधित जो भी कार्य है वो जल्दी करें।

श्री दिनेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि हाईवे पर विधुत पोल को बदलने का 1.36 करोड़ का टेण्डर किया गया। जबकि अधिकतर पोल तो सही अवस्था में है। जो सही पोल है उनको क्यों बदला जा रहा है।

श्री मोहम्मद ताहिर ने कहा कि सुपर सोकर मशीन का टेण्डर हो रहा है उस मशीन की लागत 63 लाख है तथा निविदा 90 लाख की जारी की गई है, क्या हम उस मशीन को खरीद कर कार्य नहीं करवा सकते है। आप से बिना पुछे ही टेण्डर किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि आप उस टेण्डर को निरस्त करें।

श्रीमति कृष्णा कंवर ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में वार्ड परिसीमन का बोर्ड लगाया जाना था जो आज तक नहीं हुआ।

श्री राजेन्द्र पंवार ने लैपटाप की मांग की।

महापौर महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में श्री ताज मोहम्मद राठोड़ व AAO को अधिकृत करता हुँ। कि वे इस कार्य को शीघ्र पुर्ण करवाये। सात दिन में यह बताये कि वार्ड बोर्ड व लैपटाप में क्यों कार्यवाही नहीं हो रही है और हो रही है तो सात दिवस में लैपटाप उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

श्री नन्द किशोर गहलोत ने कहा कि गंगाशहर क्षैत्रिय कार्यालय में JEN की व्यवस्था करवाये। और JCB व डम्पर प्रत्येक दिन गंगाशहर कार्यालय में रखा जाये। तथा लाईट सम्बन्धी JEN व लाईट शिकायत रजिस्टर रखा जाये।

महापौर महोदय ने कहा कि गंगाशहर में वास्तव में आवश्यकता है पहले JCB व डम्पर खड़े करने की व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब डम्पिंग स्टेशन में खड सकते है। लाईट का रजिस्टर भी गंगाशहर कार्यालय में रखवाया जावे।

इसके पश्चात् राष्ट्रगान के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(निकया गोहाएन)IAS आयुक्त	नारायण चोपड़ा (नारायण चोपड़ा) महापौर

क्रमांक / सामान्य / बोर्ड बैठक / 2017 / 428-45 दिनांक 09/01/2018

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् अर्जुनराम मेघवाल, माननीय सांसद, बीकानेर संसदीय क्षेत्र, बीकानेर। ई–बी–4 कांता खतुरिया कॉलोनी, बीकानेर।
2. डॉ. गोपालकृष्ण जोशी, माननीय विधायक, बीकानेर (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्र, होटल जोशी, बीकानेर।
3. सुश्री सिद्वी कुमारी, माननीय विधायक, बीकानेर (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र, लालगढ़ पैलेस, बीकानेर।
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
5. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर।
6. श्रीमान् निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. माननीय महापौर महोदय, बीकानेर नगर निगम।
8. श्रीमान उप महापौर महोदय, बीकानेर नगर निगम।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।
11. उपायुक्त (पूर्व) / उपायुक्त (पश्चिम), बीकानेर नगर निगम।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, सूचना केन्द्र, बीकानेर।
13. पार्षद श्री / श्रीमती...
    बीकानेर नगर निगम को प्रेषित कर लेख है कि आप बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें।
14. मुख्य लेखाधिकारी / स्वास्थ्य अधिकारी / अधिशाषी अभियंता (दोनों) / सहायक अभियंता समस्त / कनिष्ठ अभियंता समस्त / सहायक अभियंता (विद्युत) / कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)
15. सचिव / राजस्व अधिकारी प्रथम / समस्त राजस्व अधिकारी द्वितीय / समस्त राजस्व निरीक्षक
16. क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर / दक्षिण), बीकानेर नगर निगम।
17. कार्यालय अधीक्षक / भण्डार अधीक्षक / यंत्रालय अधीक्षक / उद्यान अधीक्षक।
18. समस्त शाखा प्रभारी, बीकानेर नगर निगम / सुरक्षित पत्रावली।

(निकया गोहाएन)IAS
आयुक्त